

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935

No. 592]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवंबर, 2013

सा.का.नि. 768(अ).—राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 45 के अनुसरण में सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) संशोधन नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में अनुपूरक नियम-317-ख-8क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“बिना बारी आबंटन

अनुपूरक नियम 317 ख-8 क

अनुपूरक नियम 317ख-7 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) निम्नलिखित उच्च पदस्थों के साथ सलग्न वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द को, यदि उनके कर्तव्यों की अत्यावश्यकता ऐसी है, उनकी हकदार टाइप के निवास का आबंटन, विहित संख्या के अनुसार, तुरंत बिना बारी के किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) कैबिनेट मंत्री की दशा में, तीन से अनधिक इकाईयां;

(ख) राज्य मंत्री की दशा में, दो से अनधिक इकाईयां ।

(ii) निम्नलिखित उच्च पदस्थों के साथ सलग्न वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द को, यदि उनके कर्तव्यों की अत्यावश्यकता ऐसी है, उनकी हकदार टाइप से एक टाइप नीचे के निवास का आबंटन, विहित संख्या के अनुसार, तुरंत बिना बारी के किया जाएगा, अर्थात :—

- (क) उपाध्यक्ष, योजना आयोग की दशा में, तीन से अनधिक इकाईयां;
- (ख) अध्यक्ष, लोक सभा और उप सभापति, राज्य सभा, प्रत्येक की दशा में, तीन से अनधिक इकाईयां;
- (ग) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की दशा में सात से अनधिक इकाईयां और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की दशा में, दो से अनधिक इकाईयां।”

[फा. सं. 12035/22/2000-नीति II (बोल. II)]

एस. के. जैन, उप निदेशक, संपदा (नीति)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में का.आ.सं. 1330, तारीख 11 मई, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित संख्यांक द्वारा संशोधित किए गए थे :-

1.	का. आ. 1607, दिनांक 24 अप्रैल, 1982	14.	सा.का.नि. 287(अ), दिनांक 01 जून, 1998
2.	का. आ. 4202, दिनांक 18 दिसम्बर, 1982	15.	सा.का.नि. 225, दिनांक 12 नवंबर, 1998
3.	सा.का.नि. 159, दिनांक 19 फरवरी, 1983	16.	सा.का.नि. 239, दिनांक 21 जुलाई, 1999
4.	का. आ. 2085, दिनांक 11 मई, 1985	17.	सा.का.नि. 27, दिनांक 13 जनवरी, 2001
5.	का. आ. 666, दिनांक 22 फरवरी, 1986	18.	सा.का.नि. 346, दिनांक 23 जून, 2001
6.	सा.का.नि. 530 दिनांक 11 जुलाई, 1987	19.	सा.का.नि. 528(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2001
7.	सा.का.नि. 796, दिनांक 24 अक्टूबर, 1987	20.	सा.का.नि. 52, दिनांक 01 फरवरी, 2003
8.	सा.का.नि. 265, दिनांक 30 मई, 1992	21.	सा.का.नि. 20, दिनांक 03 फरवरी, 2009
9.	सा.का.नि. 150, दिनांक 26 मार्च, 1994	22.	सा.का.नि. 128, दिनांक 21 अगस्त, 2009
10.	सा.का.नि. 447, दिनांक 03 सितंबर, 1994	23.	सा.का.नि. 262(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2013
11.	सा.का.नि. 454, दिनांक 14 अक्टूबर, 1995	24.	सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 28 जून, 2013
12.	सा.का.नि. 542, दिनांक 30 नवंबर, 1996	25.	सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2013
13.	सा.का.नि. 58(अ), दिनांक 28 जनवरी, 1998		

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF ESTATES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2013

G.S.R. 768(E).—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, for the existing Supplementary Rule 317-B-8A, the following Supplementary Rule shall be substituted, namely :—

“OUT OF TURN ALLOTMENT

SR 317-B-8A

Notwithstanding the provisions of SR 317-B-7—

- (i) entitled type of accommodation may be allotted, immediately on out of turn basis, if the exigencies of duties so demand to the personal staff attached to the following dignitaries, as per the prescribed numbers, namely:-
 - (a) not exceeding three units in the case of Cabinet Minister, and
 - (b) not exceeding two units in the case of Minister of State.
- (ii) one type below the entitled type of accommodation may be allotted, immediately on out of turn basis, if the exigencies of duties so demand to the personal staff attached to the following dignitaries, as per the prescribed numbers, namely:-
 - (a) not exceeding three units in the case of Deputy Chairman, Planning Commission;
 - (b) not exceeding three units each in the case of Speaker, Lok Sabha and Deputy Chairman, Rajya Sabha;
 - (c) not exceeding seven units in the case of the Chief Justice of India and not exceeding two units in the case of Judges of the Supreme Court.”

[F. No. 12035/22/2000-Pol.II (Vol.II)]

S. K. JAIN, Dy. Director of Estates (Policy)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O.1330, dated the 11th May, 1963 and subsequently amended *vide* numbers :

1.	S.O. 1607, dated 24th April, 1982	14.	G.S.R. 287(E), dated 1st June, 1998
2.	S.O. 4202, dated 18th December, 1982	15.	G.S.R. 225, dated the 12th November, 1998
3.	G.S.R. 159, dated 19th February, 1983	16.	G.S.R. 239, dated 21st July, 1999
4.	S.O. 2085, dated 11th May, 1985	17.	G.S.R. 27, dated 13th January, 2001
5.	S.O. 666, dated 22nd February, 1986	18.	G.S.R. 346, dated 23rd June, 2001
6.	G.S.R. 530, dated 11th July, 1987	19.	G.S.R. 528(E), dated 13th July, 2001
7.	G.S.R. 796, dated 24th October, 1987	20.	G.S.R. 52, dated the 1st February, 2003
8.	G.S.R. 265, dated 30th May, 1992	21.	G.S.R. 20, dated 3rd February, 2009
9.	G.S.R. 150, dated 26th March, 1994	22.	G.S.R.128, dated 21st August, 2009
10.	G.S.R. 447, dated 3rd September, 1994	23.	G.S.R. 262(E), dated 23rd April, 2013
11.	G.S.R. 454, dated 14th October, 1995	24.	G.S.R.444(E), dated 28th June, 2013
12.	G.S.R. 542, dated 30th November, 1996	25.	G.S.R. 685(E), dated 14th October, 2013
13.	G.S.R. 58(E), dated 28th January, 1998		